

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला
भिण्ड (म0प्र0)

आपराधिक प्रक0क्र0-1323/15

संस्थित दिनांक-21.12.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

जोगेन्द्र पुत्र सुरेन्द्रसिंह गुर्जर उम्र 22 साल
निवासी ग्राम सिरसौदा थाना गोहद जिला भिण्ड

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 10.04.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर आयुध अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25-(1बी) (ए) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 17.11.15 को समय लगभग 10 बजे, शर्मा फार्म हाउस के पास नावली रोड के दाहिनी तरफ अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में एक कट्टा 315 बोर तथा एक जिंदा कारतूस बिना अनुज्ञप्ति के रखे हुये पाये गये।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि थाना गोहद चौराहा पर पदस्थ थाना प्रभारी को मुखबिर के माध्यम से दिनांक 17.11.15 को सूचना प्राप्त हुई कि एक पल्सर मोटरसाईकिल पर तीन लडके किसी अपराध को कारित करने के उद्देश्य से ग्वालियर तरफ से आ रहे हैं। उक्त सूचना पर सहायक उपनिरीक्षक आर0के0 पाठक, आरक्षक मनोज, आर0 विक्रम के साथ नावली मोड पहुंचे वहां तीन लडके काले रंग की पल्सर मोटरसाईकिल पर बैठकर आ रहे थे। पुलिस को देखकर नावली मोड तरफ शर्मा फार्म हाउस के पास मोटरसाईकिल को पटक कर इधर उधर भागे। एक लडके का पीछाकर उसे पकड़ा। उसका नाम पता पूछने पर अभियुक्त ने अपना नाम पता बताया। उसकी तलाशी लेने पर पैट के नीचे बांयी तरफ कमर में एक 315बोर का कट्टा खुरसे मिला जिसे खोलकर देखा तो 315 बोर का एक लोडेड कारतूस मिला, जिसे रखने का लायसेंस पूछे जाने पर लायसेंस न होना बताया। मौके पर जब्त कर जब्ती पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाए गए। थाने पर आकर अप0क0-271/15 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान साक्षीगण के कथन लेख किए गए, कट्टा व कारतूस की जांच कराई गयी, अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति ली गयी। तत्पश्चात् अभियोगपत्र पेश किया गया।

10.4.2017
 ए0के0 गुप्ता
 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
 गोहद जिला



3. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द०प्र०स० की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1. क्या अभियुक्त दिनांक 17.11.15 को समय लगभग 10 बजे, शर्मा फार्म हाउस के पास नावली रोड के दाहिनी तरफ अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में एक कट्टा 315 बोर तथा एक जिंदा कारतूस बिना अनुज्ञप्ति के रखे हुये पाया गया ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में डा० आलोक शर्मा अ०सा० 1, सुनील बौहरे अ०सा० 2, मनोज राजे अ०सा० 3, आर० विक्रमसिंह अ०सा० 4, रामकुमार पाठक अ०सा० 5, महेन्द्रसिंह अ०सा० 6 तथा लक्ष्मणसिंह अ०सा० 7 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

6. जब्तीकर्ता रामकुमार पाठक अ०सा० 5 यह कथन करते हैं कि दिनांक 17.11.15 को थाना गोहद चौराहा में एसआई के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को मुखबिर से सूचना मिलने पर दरोगा आर०बी०एस० यादव के साथ मय फोर्स शासकीय वाहन से रवाना हुए। नावली मोड पर ग्वालियर हाईवे के पास एक पल्सर मोटरसाईकिल काले रंग की आई जिस पर तीन लडके बैठे थे जिन्हें उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाईकिल को नावली मोड तरफ शर्मा फार्म हाउस के पास पटक कर झड़ उधर भागने लगे तब उसने, आरक्षक विक्रम तथा मनोज ने एक लडके का पीछा किया जिसे घेराबंदी करके पकड़ा, जिसका नाम जोगेन्द्र गुर्जर निवासी सिरसौदा का होना बताया। उसकी तलाशी लेने पर पैंट की कमर में बांयी तरफ 315 बोर का कट्टा मिला जिसे खोलकर देखा तो उसमें एक 315 बोर का जिंदा राउण्ड मिला था। कट्टा, कारतूस रखने का लायसेंस (अनुज्ञप्ति) चाहे जाने पर लायसेंस न होना बताया, तब अभियुक्त से कट्टा व कारतूस जब्त कर जब्ती पत्रक प्र०पी० 3 बनाया जिस पर सी से सी भाग पर तथा गिर० कर गिर० पत्रक प्र०पी० 4 बनाए जाने जिस पर भी सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। तत्पश्चात् मय माल थाने अभियुक्त को लाकर वापसी दर्ज करने और अभियुक्त के विरुद्ध अप०क्र०-271/15 पर प्राथमिकी प्र०पी० 7 लेखबद्ध किए जाने जिन पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं।

7. जब्ती पत्रक प्र०पी० 3 व गिर० पत्रक प्र०पी० 4 के साक्षी मनोज अ०सा० 3 तथा आरक्षक विक्रम अ०सा० 4 हैं। उक्त दोनों ही साक्षी रामकुमार अ०सा० 5 के कथनों की पुष्टि करते हुए उक्त दिनांक 17.11.15 को मुखबिर की सूचना पर फोर्स के साथ जाने, ग्वालियर हाईवे पर पल्सर

10.4.17
अधिक मजिस्ट्रेट प्रथम क्लास
जिला मजिस्ट्रेट

27

मोटरसाईकिल पर तीन लडके आने, रोकने पर भागने का प्रयास करने तथा मोटरसाईकिल को शर्मा फार्म हाउस के पास पटक कर भागने पर एक लडके को घेरकर पकड़ने पर उसके कमर में 315 बोर का कट्टा लोडेड हालत में जब्त किए जाने का समर्थन करते हैं। मनोज अ0सा0 3 जब्ती पत्रक प्र0पी0 3 ए से ए तथा गिर0 पत्रक प्रपी0 4 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। जबकि आरक्षक विक्रम अ0सा0 4 प्रपी0 3 व 4 पर बी से बी भाग पर हस्ताक्षर किया जाना प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार से उक्त दोनो साक्षियों द्वारा अभियुक्त के आधिपत्य से आग्नेय आयुध जब्त किए जाने का तथ्य का समर्थन किया गया है।

8. प्रकरण में अभियुक्त का यह तर्क है कि जब्ती स्थल सार्वजनिक स्थान ग्वालियर भिण्ड हाईवे नावली मोड बताया गया है जो कि सार्वजनिक लोगों की पहुंच में हैं फिर भी किसी स्वतंत्र व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया गया है तथा जब्ती व गिर0 की कार्यवाही के साक्षी पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, ऐसे में उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जहां तक अभियुक्त की ओर से किसी स्वतंत्र व्यक्ति को कार्यवाही का साक्षी न बनाए जाने का तर्क प्रस्तुत किया है, इस संबंध में जब्तीकर्ता रामकुमार पाठक अ0सा0 5 से प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में पूछा गया जिसमें साक्षी स्वीकार करता है कि जहां अभियुक्त को पकड़ा गया वह आवागमन वाला स्थान है परंतु जिस समय उसे पकड़ा उस समय वहां कोई पब्लिक का आदमी (आम व्यक्ति) नहीं था, ऐसे में साक्षी द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है। घटनास्थल के आसपास किसी व्यक्ति की उपस्थिति के संबंध में अभियुक्त की ओर से कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कथित रूप से घटनास्थल के आसपास कोई भवन अथवा सनिर्माण मौजूद हो जिसमें लोगों की उपस्थिति हो, ऐसा भी तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। जहां तक पुलिस साक्षी मात्र होने का तर्क प्रस्तुत किया गया है तो यह सुस्थापित है कि पुलिस साक्षी की अभिसाक्ष्य को मात्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं करना चाहिए कि ऐसा साक्षी पुलिस का व्यक्ति है ऐसी साक्ष्य को अविश्वास किए जाने का युक्तियुक्त आधार उपलब्ध होना चाहिए।


9. साथ ही ऐसा कोई साक्ष्य का नियम नहीं है कि पुलिस साक्षी की अभिसाक्ष्य पर अविश्वास किया जावे बल्कि पुलिस साक्षी की साक्ष्य भी साधारण साक्षी की भांति विश्लेषणीय हैं। न्यायनिर्णय-राजाखिरना विरुद्ध स्वराष्ट्र राज्य ए आई आर 1954 एस सी पेज 217 में अभिनिर्धारित किया है कि सामान्य: न्यायालय यही उपधारणा करेगी कि पुलिस द्वारा जो कार्य किया गया है वह सही रूप से किया गया है। पुलिस अधिकारी के द्वारा किये गये कार्य को अविश्वास की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। न्यायदृष्टात- मदन सिंह विरुद्ध राजस्थान राज्य ए आई आर 1978 एस सी 1511, अनिल एलेसिस अन्ताया सदाशिव नन्दोस्कर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य एआई आर 1996 एस सी 2943 तथा ताहिर बनाम स्टेट आफ दिल्ली ए आई आर 1996 एस सी 3079 में यह सिद्धांत परिपादित किया कि मात्र पुलिस अधिकारी होने के कारण उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो

पुलिस न्याय
अधिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ़ लॉ

जाती है यह साबित होना चाहिए कि क्यों झूठा मामला बनाया जाएगा यदि पुलिस अधिकारी के कथनों का समर्थन स्वतंत्र गवाहों ने किया तो फिर भी पुलिस अधिकारी का कथन यदि विश्वसनीय है तो ऐसी स्थिति में उसके आधार पर भी सजा दी जा सकती है।

10. इस प्रकार से प्रकरण में पुलिस कर्मियों के साक्ष्य में ऐसी कोई भी विसंगति या परिस्थिति उल्लेखित नहीं हुई जिससे कि अभियुक्त के विरुद्ध जब्तीकर्ता अधिकारी के द्वारा असत्य कार्यवाही किए जाने व साक्षियों द्वारा असत्य रूप से समर्थन किए जाने का युक्तियुक्त आधार हो। अर्थात् अभियुक्त को मिथ्या रूप से लिप्त करने का कोई आधार नहीं पाया गया है। उक्त प्रकरण में साक्षी मनोज अ०सा० 3, विक्रम अ०सा० 4 तथा रामकुमार पाठक अ०सा० 5 तीनों ही व्यक्ति थाने से थाना प्रभारी के साथ जाना बताते हैं। यद्यपि तीनों के द्वारा थाने से निकलने का समय भिन्न भिन्न बताया गया है किन्तु कार्यवाही से लगभग एक वर्ष पश्चात् साक्षियों के कथन तात्त्विक विरोधाभास की श्रेणी में नहीं आते हैं। जब्तीकर्ता रामकुमार पाठक अ०सा० 5 से प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में कथित जब्तशुदा कट्टा के सीलबंद किए जाने के संबंध में प्रश्न किए जाने पर साक्षी ने मौके पर कट्टा सीलबंद किए जाने का कथन किया है। प्र०पी० 3 के जब्ती पत्रक पर नमूना सील अंकित है। साक्षी ही रामकुमार अ०सा० 5 द्वारा न्यायालय में साक्ष्य के दौरान जब्तशुदा कट्टा को आर्टिकल ए 1 तथा कारतूस को ए 2 के रूप में पहचान कर अभियुक्त से जब्तशुदा आग्नेय आयुध के रूप में उनकी पुष्टि की है। अभियुक्त की ओर से यह बचाव लिया गया कि उसे किसी अन्य प्रकरण में थाने में बिठाकर रखा गया और उसके विरुद्ध अभियान के तहत कट्टा जब्त होना बता दिया है। सर्वप्रथम को अभियुक्त को थाने में बैठाकर रखा हो अथवा अवैध रूप से निरुद्ध में रखा हो, इस संबंध में कोई भी कार्यवाही अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं है। जहां तक कथित आग्नेय आयुध अभियान के तहत अपराध पंजीबद्ध किया हो, ऐसा कोई अभियान का निर्देश अभिलेख पर नहीं है और न ही अभियुक्त द्वारा ऐसा किसी अभियान के संबंध में कोई शिकायत की हो, इस संबंध में भी अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है।

11. प्रकरण में सुनील बौहरे अ०सा० 2 आरमोरर हैं जो जब्तशुदा कट्टा एवं कारतूस की जांच करने पर कट्टा के फायर योग्य व कारतूस के फायर किए जाने योग्य होने का कथन करते हुए जांच रिपोर्ट प्र०पी० 2 बताकर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। महेन्द्र भदौरिया अ०सा० 6 अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी द्वारा विधिवत अभियोजन स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में सारवान कथन करते हैं। अभियोजन स्वीकृति प्र०पी० 8 बताकर ए से ए भाग पर जिला दण्डाधिकारी व बी से बी भाग पर अपने लघु हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर के संबंध में इस साक्षी का अभिसाक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधि० 1872 की धारा 47 के अधीन पूर्णतः सुसंगत एवं समर्थनकारी है। लक्ष्मणसिंह अ०सा० 7 विवेचक है जिनके द्वारा आरक्षक विक्रम व मनोज के कथन अन्वेषण में लिए जाने की पुष्टि की है। इस प्रकार से उक्त तीनों


जयिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला दण्डाधिकारी, जयपुर

28

साक्षीगण औपचारिक साक्षी हैं जिनकी साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने हेतु कोई भी तथ्य प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट नहीं हुआ है। अभियुक्त की ओर से उसे मिथ्या अपराध में लिप्त किए जाने का सुझाव अवश्य साक्षीगण को दिया गया किन्तु अभियुक्त से उक्त साक्षियों की कोई दुर्भावना या रंजिश रही हो, ऐसा कोई भी तथ्य न तो अभिलेख पर प्रस्तुत है और न ही प्रमाणित है।

12. इस प्रकार से उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन पक्ष यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 17.11.15 को समय लगभग 10 बजे, शर्मा फार्म हाउस के पास नावली रोड के दाहिनी तरफ अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में एक कट्टा 315 वोर तथा एक जिंदा कारतूस बिना अनुज्ञप्ति के रखे हुये पाये गये। अतः अभियुक्त को अधिनियम की धारा 25 (1-बी) ए के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है।

13. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किए जाते हैं, उसे अभिरक्षा में लिया जावे।

14. अभियुक्त का कृत्य स्वेच्छा पूर्वक अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के आग्नेय आयुध संधारित किए जाने के आधार पर दोषी पाया गया है, ऐसे में उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त व उनके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

२० अक्टूबर २०१५
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला मिण्ड मध्य प्रदेश

पुनश्च:

15. अभियुक्त एवं उनके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्त की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्त के नवयुवक एवं ग्रामीण मजदूर होने के आधार पर उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

16. अभियुक्त यद्यपि अभियोजन दस्तावेजों के अनुसार करीब 21 वर्षीय व्यक्ति है, किन्तु उसके द्वारा ज्ञानयुक्त आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के अपराध कारित करने के आशय से आग्नेय आयुध संधारित किए जाने के संबंध में आरोप प्रमाणित पाया गया है। यद्यपि अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर तथ्य नहीं हैं किन्तु चंबल क्षेत्र में अवैध हथियारों से अपराधों को कारित किए जाने की प्रवृत्ति तीव्रता से बढ़ रही है जिसे हतोत्साहित किए जाने का प्रयास प्रत्येक स्तर पर आवश्यक है ऐसे में अभियुक्त को अधिनियम की धारा 25-(1बी) (ए) के अधीन न्यूनतम उपबंधित सजा एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया

संजय कुमार शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला मिण्ड मध्य प्रदेश

जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्तिकम की दशा में अभियुक्त को एक माह का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

17. अभियुक्त से जब्तशुदा आग्नेय आयुध अपील अवधि पश्चात् विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रेषित किया जावे। अपील की दशा में मान० अपील न्यायाल के आदेश का अक्षरशः पालन हो।

18. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि के संबंध में दप्रस की धारा 428 का प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से संलग्न किया जावे। अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि यदि कोई रही हो तो वह दी गयी सजा में समायोजित की जावे।


19. निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्त को प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,


मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।


ए०के० गुप्ता

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश


ए०के० गुप्ता

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

